तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज वमुकः ज्योतिदेवी बनाम लोक सूचना अधि0(अति0जिलाकलक्टर धौ0) प्रथम अपील (मु0संख्या 22/2023) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जीसीएमएस न0 2023/46)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
17.07.2023	अपीलार्थी अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के सम्बन्ध में पेश की है। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी/रिपोर्ट प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र कमांकः अपील/आरटीआई./2023/286 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने हेतु दिनांक 12.05.2023 को आवेदन भिजवाया गया था। उक्त आवेदन आवक शाखा के कमांक 6791 दिनांक 16.06.2023 से उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु उनके कार्यालय के पत्र कमांक/संपर्क/सूचना अधि./2023/215 दिनाक 29.05.2023 से अपीलार्थी को सूचित किया गया कि राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांक प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 जयपुर दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या–3 के अनुसार सूचना के अधिकार के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचनाऐं प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है। अतः आप द्वारा चाही गई सूचना दिया जाना संभव नहीं है जिसके पत्र की प्रति संलग्न कर पेश की है। अपीलार्थी को नियमानुसार सूचना दिया जाना संभव नहीं है। अतः हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट का अवलोकन किया अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र का अवलोकन किया। आवेदन पत्र में चाही गई सूचना प्रश्नात्मक बिन्दु है। राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का	

अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र कमांक प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 जयपुर दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या–3 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है। अतः अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना दिया जाना संम्भव नहीं है। अतः प्रथम अपील, अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलक्टर